भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1213

गुरूवार, 5 दिसम्बर, 2024 / 14 अग्रहायण, 1946 (शक)

श्रमिकों को समय पर वेतन

1213. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान ठेकेदार या फर्म द्वारा वेतन का भुगतान न किए जाने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में चालान प्रस्तुत किए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कितनी शिकायतें हैं, जिनमें पूर्ण वेतन का भुगतान किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत मजदूरी एवं वेतन का भुगतान न किए जाने की शिकायतों का निपटान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों समुचित सरकारें हैं। मजदूरी का भुगतान न करने के लिए प्राप्त शिकायतों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए जाने वाली शिकायतों और केंद्रीय क्षेत्र में मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) [सीएलसी (सी)] के अधिकारियों के हस्तक्षेप के माध्यम से पूर्ण मजदूरी का भुगतान करने वाली शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	ठेकेदार या फर्म द्वारा वेतन का भुगतान न करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जहां सीएलसी (सी) के अधिकारी के हस्तक्षेप के माध्यम से पूर्ण वेतन का भुगतान किया गया है	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत चालानों की संख्या
1.	2.	3.	4.
2022-23	2398	1133	57
2023-24 (अक्टूबर, 2024 तक)	3205	2083	87

*****